

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा  
 अतिरिक्त जज के स्थान देह एवं महादेव जी स्थान बनारस देव प्रकाश S/o मोहन लाल  
 न. 19 सन् 2025

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस में जारी हुए
	<p>अदम पौरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 17/06/2016 को अपास्त किया जाकर तत्समपात्र रावतभाटा को रिसीवर नियुक्त किया गया था, उसे हटाया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार को दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल पत्र हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चिन्तोड़ा)</p> <p>12/06/2025 प्रतिवादी देवप्रकाश व बालचन्द के प्रावपत्र धारा-153 CPC पर पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। प्रतिवादी ने प्रावपत्र में तथ्य अंकित किए कि उक्त पत्र में पेशी 15/05/2025 नियत थी उस दिन प्रतिवादीगण दोनों न्यायालय में उपस्थित थे। लेकिन वादी के अनुपस्थित रहने से वाद-पत्र अदम हाजिरी व अदम पौरवी में खारिज हुआ। लेकिन फर्द अहकाम में 15/05/2025 के स्थान पर दिनांक 08/05/2025 लिख दी गई। स्वयं प्रतिवादी ने माह जून में नकल हेतु अर्तदेन दिया था इसलिए निर्णय दिनांक 08/05/2025 के स्थान पर 15/05/2025 को अंकित की जाने का निर्देश किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी को पेशी की सूचना हेतु दिनांक 15/05/2025 के नोटिस जारी किये गये थे जो वाद में तामील प्राप्त हुए हैं, वादी की अनुपस्थिति में वाद-पत्र अदम हाजिरी में खारिज</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चिन्तोड़ा)

किया गया। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 08/05/25 की पैत्री नियत थी किन्तु उस दिन पत्रावली पैत्री हेतु इजलास में पैत्री नहीं हुई। तथा पक्षकारान् को नोटिस की दिनांक 15/05/2025 के ही जारी किए गए थे लिपिकीय भूलवश पैत्री 15/05/25 के स्थान पर दिनांक 08/05/2025 अंकित कर दी गई जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायचिंत प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय / आदेश दिनांक 08/05/2025 के स्थान पर दिनांक 15/05/2025 पढ़े जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो वर्क रीजिस्टर से क्रम की जाकर शामिल पत्र हो। 10

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)